

पन्ना में हीरा खनन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में मध्य प्रदेश के **पन्ना** ज़िले में, जोकि **हीरा खनन** के लिये प्रसिद्ध है, अपरषिक्त **हीरों** की नीलामी की घोषणा की गई।

प्रमुख बिंदु:

- **पन्ना का हीरा उद्योग:**
 - पन्ना सदियों से हीरा खनन केंद्र रहा है।
 - **अत्यधिक खनन के कारण** ज़िले के हीरे के भंडार कम हो गए हैं, जिससे बड़ी खोजें दुर्लभ हो गई हैं।
 - **खनन मुख्यतः आदवासी आबादी** के लिये वैकल्पिक आय स्रोत के रूप में कार्य करता है, जिससे उन्हें **250-300 रुपए** की नाममात्र की दैनिक आय प्राप्त होती है।
- **कानूनी मुद्दे:** शेष बचे अधिकांश हीरे के भंडार **संरक्षित वन क्षेत्रों** में स्थित हैं, जिससे खनन गतिविधियाँ प्रतबंधित हैं। सरकार पर्यावरण का वसुतार करने के लिये कानूनी समाधान खोज रही है।
 - **खान एवं खनजि (विकास एवं वनियमन) अधिनियम, 1957** के अंतर्गत वनियमों तथा **खान सुरक्षा महानिदेशालय (Directorate General of Mines Safety- DGMS)** द्वारा निर्धारित नियमों का अनुपालन करना।
 - जब किसी को हीरा मलि तो स्थानीय प्राधिकारियों, जैसे **ज़िला कलेक्टर या संबंधित खनन वभाग** को हीरे के बारे में सूचित करना।
 - **खान एवं खनजि (विकास एवं वनियमन) अधिनियम, 1957: MMDR अधिनियम, 1957** भारत में खनजि अन्वेषण एवं नषिकर्षण को नयित्तरति करता है। यह केंद्र सरकार को खनजि संसाधनों को नयित्तरति करने का अधिकार देता है।
 - **खनजि रयियत नयिम, 1960: ये नयिम** खनन पट्टे और लाइसेंस प्राप्त करने के लिये वसुतुत प्रक्रया प्रदान करते हैं।
 - सरकारी भूमिपर या लाइसेंस प्राप्त खनन क्षेत्रों में पाए जाने वाले हीरों पर **खनजि रयियत नयिम, 1960** के अधीन, अधिकार सरकार या खनन पट्टाधारक के पास हो सकते हैं।
 - **अंतर:** भूमि स्वामित्व के बावजूद, खनजिों के नषिकर्षण के लिये सरकार से अलग परमिट की आवश्यकता होती है और खनजिों का स्वामित्व भूमि स्वामित्व से भिन्न हो सकता है।

खान एवं खनजि (विकास एवं वनियमन) (MMDR) अधिनियम, 1957

- **खनजि संसाधनों का वनियमन:**
 - यह अधिनियम भारत में खनजि संसाधनों के अन्वेषण, नषिकर्षण और वनियमन को नयित्तरति करता है तथा केंद्र सरकार को इन गतिविधियों को नयित्तरति एवं प्रबंधित करने का अधिकार प्रदान करता है।
- **लाइसेंसिंग और पट्टा:**
 - यह खनजि अन्वेषण और खनन के लिये लाइसेंस एवं पट्टे प्रदान करने की रूपरेखा स्थापित करता है, जिसमें खनन अधिकार प्राप्त करने की प्रक्रया भी शामिल है।
- **नयित्तरण और अनुपालन:**
 - अधिनियम में खनजि नषिकर्षण के लिये निर्धारित मानकों और वनियमों का पालन, पर्यावरण संरक्षण तथा संसाधनों का उचित प्रबंधन सुनिश्चित करना अनिवार्य किया गया है।
- **केंद्रीय सरकार प्राधिकरण:**
 - केंद्र सरकार के पास खनजि संसाधनों के विकास और वनियमन से संबंधित निर्देश जारी करने तथा वनियमों को लागू करने की शक्ति है, जिसमें खनजि रॉयल्टी एवं शुल्क का संग्रह भी शामिल है।

